

27-03-2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री भागवत सिंह देवड़ा उपस्थित। अधिवक्ता संख्या एक से तीन के अधिवक्ता श्री वीरेंद्र रम. चौहान उपस्थित। अधिवक्ता संख्या चार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्कों का उल्लेख करते हुए प्रार्थी की प्रार्थना पर स्वीकार किया जाकर अधिवक्ता द्वारा उपखण्ड अधिवक्ता कापुरोड के मुकदमा संख्या 01/2023 दिनांक 28-03-2023 के विरुद्ध अधिलेखन करने में हुई देरी को उद्घोष किया जाता है। निर्णय सरे अमलान्त सुनाया गया। पत्रावली अंतिम प्रकार लेकर नम्बर संकम है।



शुभम चौहान  
जिला कलेक्टर, सिराही